विज्ञप्ति

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कार्यों के कुशल सम्पादन, नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त प्रबन्धक की आवश्यकता है। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	पदनाम, जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं	पदनाम, जिसपर संविदा पर रखा जाना है	कार्मिक की संख्या	देय मानदेय / संविदा धनराशि (प्रतिमाह)
1	2	3	4	5
01	प्रबन्धक ग्रेड–3 / 2	महाप्रबन्धक (समन्वय)	01	रू0 90,000.00

इच्छुक आवेदक निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार आवेदन कर सकते हैः–

1. पी0सी0डी0एफ0 लि0 में संविदा के आधार पर महाप्रबन्धक (समन्वय) के पद पर 01 वर्ष हेतु तैनाती की जायेगी।
2. उक्त रिक्ति के सापेक्ष आवेदन करने वाले प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 से सेवानिवृत्त उत्कृष्ट / स्वस्थ्य प्रबन्धक को तैनात करने पर विचार किया जायेगा, जो सेवाकाल में किसी वित्तीय / अनुशासनिक अनियमितता में दोषी न रहें हों तथा उनके विरूद्ध वर्तमान में अनुशासनिक / सतर्कता जाँच प्रचलित न हो। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त तिथि के पूर्व प्रबन्धक ग्रेड–3 / 2 के पद पर कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रहा हो तथा जिसकी आयु विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 64 वर्ष से कम हो।
3. महाप्रबन्धक (समन्वय) के पद पर तैनात किये जाने वाले प्रबन्धक द्वारा पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय तथा उसकी इकाईयों एवं दुग्ध संघों में तैनात प्रभारियों / प्रबन्धकों के मध्य समन्वय स्थापित कराते हुये पी0सी0डी0एफ0 के कार्यों का नियोजन एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्तानुसार संविदा पर तैनात किये जाने वाले प्रबन्धक को उपर्युक्त तालिका के कालम 5 के अनुसार मानदेय / संविदा धनराशि रू0 90,000.00 (रूपया नब्बे हजार मात्र) प्रतिमाह देय होगी, जो वैधानिक कटौतियों के उपरान्त प्रतिमाह भुगतान की जायेगी तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय / संविदा धनराशि का भुगतान आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
5. संविदा पर तैनात किये जाने वाले प्रबन्धक को 01 वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष अवकाश देय होगा। अन्य कोई अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश आदि देय नहीं होगा। उक्त विशेष अवकाश की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 से प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही अवकाश का उपभोग किया जायेगा। अनाधिकृत उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रबन्धक निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0 द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
6. संविदा पर तैनात महाप्रबन्धक (समन्वय) द्वारा पी0सी0डी0एफ0 लि0 के कार्यों से की गयीं यात्राओं के सम्बन्ध में वही नियम लागू होंगें, जो पी0सी0डी0एफ0 के प्रबन्धक ग्रेड–3 के प्रबन्धकों के लिये प्रभावी हैं तथा उसकी प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त के समय धारित पद की समकक्षता के अनुरूप की जायेगी।
7. संविदा पर तैनात महाप्रबन्धक (समन्वय) की तैनाती 01 वर्ष की अवधि की लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये) की जायेगी, जिसे उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत आगे 01 वर्ष के लिये पी0सी0डी0एफ0 लि0 की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा।

(मनोज चन्द्र शही)
प्रभारी (प्रशा0 / का0)

8. संविदा पर तैनात महाप्रबन्धक (समन्वय) द्वारा 01 वर्ष की अवधि से पूर्व महाप्रबन्धक (समन्वय) के पद से पृथक होने के लिये कम से कम 15 दिवस पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ लि0 लखनऊ द्वारा पीसीडीएफ की कार्य आवश्यकता / महाप्रबन्धक (समन्वय) द्वारा कृत कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत संविदा के माध्यम से तैनात महाप्रबन्धक (समन्वय) की कार्य अवधि को एक वर्ष से पूर्व बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।

10. उक्त रिक्ति के सापेक्ष कार्य करने के इच्छुक प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन से सेवानिवृत्त प्रबन्धक ग्रेड–3 / 2 जो उपर्युक्त अर्हता पूर्ण करते हैं दिनांक 18.07.2023 तक अपना आवेदन पत्र प्रभारी (प्रशासन / कार्मिक), प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ को डाक / ई–मेल (admn.pcdf@paragmilkup.in) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना ई–मेल, पता व मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से इंगित किया जायेगा।

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के परीक्षणोंपरान्त अर्ह अभियार्थियों का चयन प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने पर किया जायेगा।

(मनोज चन्द्र शाही)
प्रभारी
(प्रशासन / कार्मिक)